

24/6/24

पत्रावली पेश हुई। फील वरीया उप। फील वारी। व  
ने शाब्द धारा 151, 152 CPC को दोहाते हुए लीमा  
कुरने का दिवेदन उभा। पत्रावली का अपलोड क  
ठिया। उक्त शाब्द में वारि विनु का निर्दि दि।  
13/06/2022 को उभा जा चुका है। यदि वारीगण्डन  
निर्दि से संबुष्ट नही है तो वह सक्षम ठमायात्मक  
में अपील कर सकते हैं। अतः शाब्द विमेश  
उभा जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर शुलः  
दाविष्य वषा हो।

GMS No.  
2024/317

आदेश सुनाया गया।



<sup>18</sup>  
पखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)